

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारतीय उत्पादों में विषाक्त संदूषक

1190 श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

श्री के. सुधाकरन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 के बाद से ऐसे भारतीय उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विभिन्न देशों द्वारा विषाक्त, विषैले तत्व युक्त पाया गया है और इनमें किस प्रकार की विषाक्तता पाई गई है या इनमें किस प्रकार के सुरक्षा मुद्दे पाए गए हैं:

(ख) इन चिंताओं को दूर करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय निर्यातकों को उत्पाद सुरक्षा मानकों में सुधार करने और अंतरराष्ट्रीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई सहायता प्रदान की जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क): आयातक देश विभिन्न उत्पादों के लिए विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अवशिष्ट सीमाओं के संबंध में समय-समय पर विनियम जारी करते हैं। भारत से निर्यातों का निर्वाह प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए निर्यातकों के बीच ऐसे विनियमों के संबंध में जानकारी का प्रसार किया जाता है।

(ख) एवं (ग): अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, खाद्य सुरक्षा मानकों और विभिन्न आयातक देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में संबंधित हितधारकों के लिए आवधिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने अधिकतम अवशिष्ट स्तरों

पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूंगफली और अंगूर के निर्यात के संबंध में क्रियाविधियाँ विकसित की हैं और खाद्य सुरक्षा अनुपालन की निगरानी के लिए अंगूर, मूंगफली और जैविक उत्पादों के लिए ट्रेसबिलिटी सिस्टम भी विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को प्रमाणन संबंधी सहायता, प्रयोगशाला उन्नयन और परीक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति के साथ सहायता प्रदान की जाती है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) समुद्री खाद्य प्रसंस्करणों के लिए स्पेशलाइज्ड हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी) प्रशिक्षण प्रदान करता है और निर्यात की अस्वीकृति से संबंधित मुद्दों का समाधान करने तथा उनमें सुधार करने के लिए विशेषज्ञ पैनल के साथ सहयोग करता है। निर्यात अस्वीकृतियों से सम्बंधित मुद्दों का समाधान किया गया है और उन पर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भागीदारों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के दौरान चर्चा की गई। ये उपाय उच्च खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने, सुचारु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने और वैश्विक बाजार पहुंच को बढ़ाने में सहायता करते हैं। एम्पीडा अनुमोदित प्रसंस्करण संयंत्रों में लघु प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए एम्पीडा के साथ पंजीकृत समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम संचालित करता है। यह स्कीम प्रसंस्करणकर्ताओं को इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण और रसायन और अन्य आपूर्ति की अधिप्राप्ति में सहायता करती है।
